श्रीगंगानगर में दिनांक 12 फरवरी 2015 को आयोजित बैठक एवं जनसुनवाई के दौरान राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर.कुड़ी का वक्तव्य।

"मानव अधिकार का दुरूपयोग नहीं हो"

अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग

जयपुर, 12 फरवरी । राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एच.आर. कुड़ी ने श्रीगंगानगर में आयोजित बैठक एवं जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब आयोग में पहुंचता है, तो बड़ी उम्मीद के साथ आता है। ऐसे में ऐसे परिवादियों की जांच तथ्यात्मक एवं त्वरित गति से होनी चाहिए।

किसी भी हालत में मानव अधिकार का दुरूपयोग नहीं हो तथा पीड़ित मानव की सेवा की भावा से उसकी मदद करनी चाहिए।

उन्होने कहा कि आयोग द्वारा जो परिवाद अधिकारियों को रिपोर्ट के लिये भेजे जाते है उस पर रिपोर्ट तथ्यात्मक एवं कम समय में भेजनी चाहिए। उन्होने जिले में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी कार्यवाही करने के अलावा कन्या भ्रूण हत्या न हो तथा पीसीपीएनडीटी कानून की पूरी तरह से पालना होनी चाहिए। उन्होने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या कानून से नहीं बल्कि जागृति से रूकेगी। इसके लिये सेमीनार एवं गोष्ठियों का आयोजन कर आमजन में जागृति पैदा की जाये। उन्होने देर रात तक लाउडस्पीकर की आवाज या समारोह के नाम पर डीजे, शोर या तेज ध्वनि से यंत्रों का बजाने एवं न्यूसेंस पैदा करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होने सेवानिवृत व्यक्तियों के पेंशन प्रकरणों की जानकारी ली तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजनाओं में दिये जा रहे लाभ की संमीक्षा करते हुए बिना देरी के पात्र व्यक्ति को लाभ देने के निर्देश दिये।